न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 19/2015

1. मोहनलाल पुत्र नारायण लाल जांगिड
    1/1. रामगोपाल वल्द नारायण
    1/2. ओमप्रकाश वल्द नारायण
    1/3. कमला पुत्री मोहनलाल
    1/4. ललिता पुत्री मोहनलाल
    सभी कौम खाती निवासीगण ग्राम बडा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र भैंरू
2. प्रहलाद पुत्र हजारी
   दोनों जाति माली निवासी ग्राम बडा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर।
4. राधाकिशन पुत्र रघुनाथ जांगिड निवासी ग्राम बडा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

——**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– आदेश :–   दिनांक 22.06.2016

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बाडी पर पेश हुई। प्रार्थी सं0 1/1 रामगोपाल असालतन वकालतन एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में मूल प्रार्थी मोहनलाल का निधन हो गया है अतः उनके वारिसान प्रार्थीगण को अभिलेख पर लिया जावे। जलसा–ए–आम में उसे सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बडा आसन के नामान्तकरण सं0 541 दिनांक 21.12.2015 में अंकित विरासत के अनुसार मृतक वारिसान को अभिलेख पर लिया जाता है।

मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रार्थी ने सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा बडा आसन पटवार क्षेत्र बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 84 रकबा 02–08–00 व 88 रकबा 01–02–00 कुल किता 2 रकबा 03–10–00 प्रार्थी की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है। जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थीगण सं0 1, 2 व 4 हमेशा विवाद करते रहते हैं। विवाद समाप्ति के लिए दिनांक 28.11.2014 को नियमानुसार सीमाज्ञान भी करवाया लेकिन अप्रार्थीगण उस सीमाज्ञान से सहमत नहीं है इसलिए प्रार्थी प्रश्नगत अराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नक्शा किश्तवार के अनुसार खसरा न0 88 व 84 एक दूसरे लगायत टुकडे जिनके बीच में चाह न0 85 स्थित है, ग्राम बडा आसन की जमाबंदी संवत् 2067 से 70 के खाता सं0 124 की अराजी खसरा न0 84 व 88 में प्रार्थी स्व0 मोहनालाल वल्द नारायण खाती खातेदार दर्ज हैं। प्रश्नगत अराजी में मोहनलाल फोत हो चुका है जमाबंदी सं0 2071 से 74 के खाता सं0 128 में विरासत से प्रार्थी सं0 1/1 से 1/4 खातेदार दर्ज हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को रु. 1500/– कमीशन पर मौका कमीश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर प्रश्नगत अराजी खसरा न0 84 रकबा 02–08–00 व 88 रकबा 01–02–00 का उभयपक्षान की उपस्थिति में सीमांकन कर नियमानुसार पत्थरगडी करावें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम बाडी पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं ... मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.29 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: